



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, http:// bsea.bihar.gov.in, Email: bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक ०९/०२/२०२४

अधिसूचना

संख्या-नि०प्रा०/नि० 1-49/2022 242 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-2422 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अन्य समितियों के साथ पश्चिम चम्पारण जिला के बेतिया प्रखंड अंतर्गत बेतिया प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। मतदाता सूची पर विवाद के कारण उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-81 दिनांक 12.01.2024 द्वारा स्थगित किया गया था। प्राधिकार के पत्रांक 238 दिनांक 09.02.2023 द्वारा मतदाता सूची के संबंध में निदेश निर्गत किया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन के पूर्व सूचना के प्रकाशन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी।

अतः उक्त आलोक में बेतिया प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० के निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या-2422 दिनांक 27.12.2023 के क्रम में नामांकन के स्तर से निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

(i)	नामांकन की तिथि एवं समय	28.02.2024 (बुधवार) एवं 29.02.2024 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(ii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	01.03.2024 (शुक्रवार) एवं 02.03.2024 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	05.03.2024 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	मतदान, अगर आवश्यक हो	12.03.2024 (मंगलवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(v)	मतगणना	12.03.2024 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vi)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	14.03.2024 (गुरुवार)

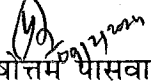
2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में बेतिया प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। दिनांक 18.02.2024 तक इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाइट पर <http://bsea.bihar.gov.in> प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।

5. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक **14.03.2024** तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ **122-129** पर देखा जा सकता है।

6. अधिसूचना संख्या 2422 दिनांक 27.12.2023 की शेष बातें यथावत रहेंगी।


(पुरुषोत्तम पासवान)

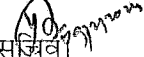
सचिव।

ज्ञापांक : 242

पटना/ दिनांक

09/02/2024

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

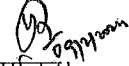

सचिव।

ज्ञापांक : 242

पटना/ दिनांक

09/02/2024

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं. सं.), पश्चिम चम्पारण/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स0स0), पश्चिम चम्पारण/ वरीय पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण/ अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (सं. सं.), बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

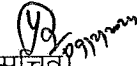

सचिव।

ज्ञापांक : 242

पटना/ दिनांक

09/02/2024

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

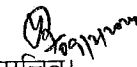

सचिव।

ज्ञापांक : 242

पटना/ दिनांक

09/02/2024

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।